



Neutral Citation No. – 2026:AHC:175215

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29203 वर्ष 2026

सुनीता देवी

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

अक्षांश

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षांश तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अ.शा.अधि.-। श्री

विजय कुमार को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. वर्तमान प्रार्थना पत्र, अवर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-70 सन् 2026, धारा 103(1), 3(5) भा.न्या.सं., थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर के अधीन आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु दाखिल किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप के अनुसार आवेदिका ने अपने परिवार के चार अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लाठी तथा ईंटों से हमला किया जिससे सूचनादाता के पति को चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, परंतु आवेदिका के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि स्वीकार्य रूप से मामले का सूचनादाता प्रत्यक्षदर्शी नहीं था।
4. उन्होंने आगे कहा कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने महेश निषाद, जो मृतक का भाई था, का बयान दर्ज किया और उसके अनुसार वह घटना के समय मृतक के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसने भी आवेदिका तथा अन्य अभियुक्तों का नाम उजागर किया, परंतु उसने भी सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी।
5. उन्होंने आगे कहा कि शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि यद्यपि मृतक को चार चोटें आईं, परंतु चोट संख्या 2 और 3 मामूली घर्षण थीं और उसे केवल एक चीरा घाव आया, इसलिए यह परिलक्षित होता है कि आवेदिका, जो महिला है, को उसके अन्य परिवार के सदस्यों के साथ वर्तमान मामले में झूठा अभियुक्त बनाया गया है।
6. उन्होंने आगे कहा कि आवेदिका के लिए कथित घटना में भाग लेने का कोई कारण नहीं था।
7. उन्होंने आगे कहा कि आवेदिका का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह महिला है तथा वर्तमान मामले में 1.4.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. दूसरी ओर, विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों से इनकार नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार आवेदिका ने अपने परिवार के चार अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लकड़ी की डंडियों तथा ईंटों से हमला किया जिससे मृतक को चोटें आईं, परंतु सभी अभियुक्तों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है।
11. इसके अलावा, मृतक की शव परीक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कि आवेदिका महिला है और चूंकि वह अन्य अभियुक्तों की रिश्तेदार है, इसलिए उसे भी वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है, इस चरण में खारिज नहीं किया जा सकता।
12. इसके अलावा, आवेदिका महिला है और उसका कोई अन्य पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान मामले में 1.4.2026 से जेल में है।
13. अतः, मामले के उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
15. आवेदिका-**सुनीता देवी** को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) आवेदिका विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर उपस्थित होगी, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (ii) आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित किया जा सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदिका किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगी।
16. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदिका की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण की अवधि में मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

19 अगस्त, 2026

अंकिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”